

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक: एफ17(8)14 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / अधिसूचना-आज्ञा / 2019 / दिनांक: 14.09.2020

आज्ञा

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 की धारा 25 के क्रम में प्रभाषी शासन सचिव, आयोजना विभाग को "राजस्थान जन आधार प्राधिकरण" का पदेन महानिदेशक तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

क्रमांक: एफ17(8)14 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / अधिसूचना-आज्ञा / 2019 / दिनांक: 14.09.2020

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, संभाग कार्यालय, राजस्थान।
5. विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, समस्त जिले, राजस्थान।
7. निदेशक तकनीकि, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी, यू.आई.डी., सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, जन आधार, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक (ई-मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. उप / सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला मुख्यालय।
12. एस.ए. / एसीपी (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला मुख्यालय।
13. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, राजस्थान।
14. उपखण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
15. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी / प्रोग्रामर, समस्त पंचायत समिति, राजस्थान।
16. रक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव